फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री गणपत सिंह पुत्र लाल सिंह चुण्डावत, निवासी 100, नाकोडा कॉम्पलेक्स, हिरण मगरी, सेक्टर 4, उदयपुर

— अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, भीम — प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा— अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 19 / 2021**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 16.11.2021

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, भीम से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, भीम को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

लो0सू0 अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, भीम द्वारा जरिये पत्रांक :— सू.का अधि0 / 2021 / 9023—24 दिनांक 20.10.2021 से प्राप्त रिपोर्टानुसार अपीलार्थी श्री गणपत सिंह पुत्र लाल सिंह चुण्डावत, निवासी 100, नाकोडा कॉम्पलेक्स, हिरण मगरी, सेक्टर 4, उदयपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय के पत्रांक सू.अ. / 2021 / 595—96 दिनांक 14.09.2021 को प्रार्थी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा उपलब्ध करा दी गई हैं।

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, भीम की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, भीम की रिपोर्टानुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय के पत्रांक सू.अ. / 2021 / 595—96 दिनांक 14.09.2021 को प्रार्थी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा उपलब्ध कराये जाने से उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, भीम को भिजवायी जावे।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द